

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (375) आकाशि / नि.स. / 2011/1036


आदेश

दिनांक - 8/5/17

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन के साथ स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं. व पता	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1 375	महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, महावीर मार्ग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। सी-स्कीम, जयपुर।			वाणिज्य स्नातकोत्तर स्तर पर - एबीएसटी, एमएचआरएम।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक रिटाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (375)आकाशि /नि.सं./ 2011/698

दिनांक: 5/8/16

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2016-17 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
महावीर कॉलेज ऑफ कामर्स, महावीर मार्ग सी-स्कोम, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित बी.कॉम—एबीएसटी, ईएफएम, व्यवसायिक प्रशासन। बी.कॉम—आनर्स (एबीएसटी) बी.बी.ए, बी.सी.ए।

- सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरित्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था प्रतिवर्ष आयुक्तालय / नजदीकी राजकीय महाविद्यालय / विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की Website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस Website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास गंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- संस्थानीयकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

विनायक शुल्क
संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)



क्रमांक: एफ4 (47)आकाशि /नि.सं./ 2011 / 527

दिनांक: 23.8.2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शॉकेक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्वावधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय सकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
श्री महावीर दिग्मन्दिर जैन शिक्षा परिषद्, जयपुर।	श्री महावीर महाविद्यालय, महावीर मार्ग श्री-स्कृमी, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, स्नातक स्तर पर-	कला संकाय- अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, समाजशास्त्र, नवीनीति विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, लोकप्रशासन, सांख्यिकी। स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.एससी- ईएएफएम। अन्य- वी.टी.ए (Visual Arts)।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्राप्त करेगी।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित वर्ष में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा यथा अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था को समय-समय पर यूजी.सी. / राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की वालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संवर्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा यिथे महाविद्यालय के प्रकरण में वी0सी0आर०१ से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाय।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC स मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा साधित जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा नियमित मानवण्डानुसार अशैक्षणिक रूपाने की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भागीदारी में इस हेतु कोई वित्तीय राहगता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तकनीकी तथा संख्या भीगा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय गंभीर प्रवेश नीति 2021-22 तथा वाद में जारी होने वाली नीतियों का वालन करना होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल wwwaishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करायकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपनोडेड प्रगाण पत्र की लाइंस की आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर दिया जायेगा।

आषुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट संसाधन, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी रायिय, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी रायिय, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल रायिय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सचिव, समन्वय महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शास्त्री, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(निःस०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

अ.वा.र०



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dec/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

Sep/2022-23/42
21/12/22

(361)

क्रमांक: एफ 4 (47) आकाशि /नि.सं. /2011 / ५४५

दिनांक 29.12.2022

संशोधन आदेश

विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक: एफ 4 (47) आकाशि /नि.सं. /2011 / 526, 527 दिनांक-23.08.2022 में महाविद्यालय का नाम "श्री महावीर महाविद्यालय, के स्थान पर श्री महावीर कॉलेज, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर पढ़ा जावें तथा विभाग द्वारा जारी रथायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में एम.एससी-ईएफएम के स्थान पर एम.कॉम-ईएफएम पढ़ा जाये।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

दिनांक:

क्रमांक: एफ 4 (47) आकाशि /नि.सं. /2011 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्टि सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि०सं०)

कॉलेज शिक्षा, राज०,
जयपुर